



- हैक्टियर में से 1/2 हिस्सा रकबा 2.3755 हैक्टियर उत्तरी भाग रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 बिरमाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा मुन्दियाऊ का खसरा नम्बर 195 रकबा 5.4309 हैक्टियर में से 1/2 हिस्सा रकबा 2.7154 हैक्टियर पश्चिमी तरफ का, खसरा नम्बर 82/237 रकबा 3.0351 हैक्टियर में से रकबा 1.6874 हैक्टियर पूर्वी हिस्सा, एवं मौजा गुढा रोहिला का खेत खसरा नम्बर 190 रकबा 4.7510 हैक्टियर में से 1/2 हिस्सा रकबा 2.3755 हैक्टियर दक्षिणी भाग एवं मौजा खाबड़ियाना का खसरा नम्बर 174/421 रकबा 2.3795 हैक्टियर पूरा खेत रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
3. उक्त खसरान के बैंक के रहन कि स्थिति में रहन यथावत रहेगा। सूचित रहे।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार डेह को आदेश दिया जाता है कि वे माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(ओमप्रकाश वर्मा)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
जायल

निर्णय आज दिनांक 09.09.23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(ओमप्रकाश वर्मा)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
जायल